



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072025-265016
CG-DL-E-28072025-265016

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3354]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947

No. 3354]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

का.आ. 3431(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि झारखंड राज्य के सराईकेला खरसावाँ जिले में 23वें किलोमीटर पर पुल का निर्माण NH-220 के कि.मी. 22.082 से कि.मी. 22.524 तक के भू-खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डीएलएओ सरायकेला खरसावाँ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखंड राज्य के सराईकेला खरसावां जिले में 23वें किलोमीटर पर पुल का निर्माण NH-220 के कि.मी. 22.082 से कि.मी.22.524 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड			जिले का नाम: सराईकेला खरसावां		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गोर्बिंदपुर (राजनगर)					
गांव का नाम: नेकड़ाकोचा					
1	19	निजी	दोन तीन	0.0034001 (एकर)	0.001376
2	26	निजी	पुरानी परती	0.0995 (एकर)	0.0402671
3	34	सरकारी	सड़क	1.005801 (एकर)	0.4070417
4	41	निजी	दोन दो	0.0504 (एकर)	0.0203966
5	42	निजी	दोन दो	0.3223988 (एकर)	0.1304735
6	43	निजी	दोन दो	0.0112 (एकर)	0.0045326
7	44	निजी	दोन दो	0.3728 (एकर)	0.1508701
8	45	सरकारी	पुरानी परती	0.3005 (एकर)	0.1216107
9	47	सरकारी	डुंगरी	0.1482 (एकर)	0.0599757
गांव का नाम: मुरुमडीह					
10	2	सरकारी	पुरानी परती	0.0116999 (एकर)	0.0047349
11	33	निजी	दोन तीन	0.0298 (एकर)	0.0120599
12	34	निजी	दोन तीन	0.0692999 (एकर)	0.0280453
13	35	निजी	दोन तीन	0.0119999 (एकर)	0.0048563
14	39	निजी	दोन तीन	0.0544001 (एकर)	0.0220154
15	40	निजी	दोन दो	0.0707 (एकर)	0.0286119
16	41	निजी	दोन दो	0.0158999 (एकर)	0.0064346
17	412	सरकारी	सड़क	1.1037 (एकर)	0.4466613
18	413	सरकारी	पुरानी परती	0.1022999 (एकर)	0.0414002

19	414	सरकारी	पत्थर	0.0407001 (एकर)	0.0164711
20	415	निजी	दोन तीन	0.0423001 (एकर)	0.0171186
21	416	निजी	दोन तीन	0.0298 (एकर)	0.0120599
22	423	निजी	दोन तीन	0.0412 (एकर)	0.0166734
23	424	निजी	दोन तीन	0.0882001 (एकर)	0.0356941
24	425	निजी	गोडा एक	0.0171999 (एकर)	0.0069607
25	426	निजी	गोडा एक	0.0184001 (एकर)	0.0074464
26	940	सरकारी	नदी	0.0636001 (एकर)	0.0257386
27	941	सरकारी	नदी	0.2396 (एकर)	0.0969648
Total					1.7664914

[फा. सं. CENH/Land Acquisition-03/25/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th July, 2025

S.O. 3431(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building, maintenance, management and operation Construction of Bridges at **23rd km** of **NH-220** in the stretch of land from Km. **22.082** to Km. **22.524** in the district of SARAIKELA KHARSAWAN in the state of JHARKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, DLAO Seraikella kharsawan in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Construction of Bridges at 23rd km of NH-220 in the stretch of land from Km. 22.082 to Km. 22.524 in the district of SARAIKELA KHARSAWAN in the state of JHARKHAND.

State: JHARKHAND			District: SARAIKELA KHARSAWAN		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gobindpur (Rajnagar)					
Village: Nakrakocha					
1	19	Private	Don iii	0.0034001 (Acre)	0.001376
2	26	Private	Purani Parti	0.0995 (Acre)	0.0402671
3	34	Government	Road	1.005801 (Acre)	0.4070417
4	41	Private	Don ii	0.0504 (Acre)	0.0203966
5	42	Private	Don ii	0.3223988 (Acre)	0.1304735
6	43	Private	Don ii	0.0112 (Acre)	0.0045326
7	44	Private	Don ii	0.3728 (Acre)	0.1508701
8	45	Government	Purani Parti	0.3005 (Acre)	0.1216107
9	47	Government	Dungri	0.1482 (Acre)	0.0599757
Village: Murumdih					
10	2	Government	Purani Parti	0.0116999 (Acre)	0.0047349
11	33	Private	Don iii	0.0298 (Acre)	0.0120599
12	34	Private	Don iii	0.0692999 (Acre)	0.0280453
13	35	Private	Don iii	0.0119999 (Acre)	0.0048563
14	39	Private	Don iii	0.0544001 (Acre)	0.0220154
15	40	Private	Don ii	0.0707 (Acre)	0.0286119
16	41	Private	Don ii	0.0158999 (Acre)	0.0064346
17	412	Government	Road	1.1037 (Acre)	0.4466613
18	413	Government	Purani Parti	0.1022999 (Acre)	0.0414002
19	414	Government	Patthar	0.0407001 (Acre)	0.0164711
20	415	Private	Don iii	0.0423001 (Acre)	0.0171186
21	416	Private	Don iii	0.0298 (Acre)	0.0120599
22	423	Private	Don iii	0.0412 (Acre)	0.0166734
23	424	Private	Don iii	0.0882001 (Acre)	0.0356941
24	425	Private	Gora i	0.0171999 (Acre)	0.0069607
25	426	Private	Gora i	0.0184001 (Acre)	0.0074464
26	940	Government	Nadi	0.0636001 (Acre)	0.0257386
27	941	Government	Nadi	0.2396 (Acre)	0.0969648
Total					1.7664914

[F. No. CENH/Land Acquisition-03/25/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director